न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 12/2024

बनाम

अपीलांटः–

1. **सतीश खिवसरा पुत्र मुकनचंद, निवासी वार्ड नं 10 छतरियों का मोर्चा बालोतरा**

रेस्पोडेंट :–

1. **आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा**

आदेश

दिनांक 01.05.2024

अपीलार्थी सतीश खिवसरा पुत्र मुकनचंद, निवासी वार्ड नं 10 छतरियों का मोर्चा बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर पररिषद बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील खारीज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील खारीज की जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा